

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक 29/08/2016

संख्या-3/विविध-01-14/2014- 500 (3) /स्वा0, डा0 नरेन्द्र कुमार सिन्हा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र, सिमरी, बख्तियारपुर, सहरसा को बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 84 के तहत अगले आदेश तक अनुमंडलीय अस्पताल, सिमरी, बख्तियारपुर, सहरसा का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।


ह0 / -  
(रवीन्द्र यादव)  
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-3/विविध-01-14/2014- 500 (3) /स्वा0, पटना, दिनांक 29/08/2016

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा) वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/जिलाधिकारी, सहरसा/क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा/सिविल सर्जन, सहरसा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 3, 8 एवं 9, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, ✓आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

  
सरकार के अवर सचिव  
संजय  
29/8/16  
29/8/16